भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1720
13.02.2023 को उत्तर के लिए

अवैध रूप से वन का काटा जाना

1720. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :
श्री एम. सेल्वराज :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौसम परिवर्तन के गंभीर आसन्न खतरे को देखते हुए क्या सरकार देश में न केवल विनिर्दिष्ट वनों में बल्कि सार्वजनिक भूमि पर भी बड़े पैमाने पर वनरोपण करने तथा वृक्ष काटना रोकने के लिए कोई कार्य-योजना बना रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों सहित अवसंरचना विकास के लिए मार्ग बनाने हेतु वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त एजेंसियों को दिए गए निर्देशों का स्वरूप क्या है;
(ग) क्या देश में अवैध वन कटाई के कारण वन के घनत्व में काफी कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार अवैध वन कटाई को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ताकि वन/वुड माफिया के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) देश में वनाच्छादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और
(च) उक्त योजना के लिए तमिलनाडु सहित आवंटित राशि कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), काम्पा, मनरेगा, नगर वन योजना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना आदि के तहत वन क्षेत्रों और सार्वजनिक भूमि पर बड़े स्तर पर वनीकरण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार वन आवरण में 1,540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(ख) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ वन भूमि पर वृक्षों को काटे जाने संबंधी मामलों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके नियमों और विनियमों के उपबंधों के तहत मामला-दर-मामला आधार पर कार्रवाई की जाती है। वनेतर प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदनों में शामिल शर्तों और निबधंनों के अनुसार अपेक्षित संख्या में ही वृक्ष काटे गए हैं।

(ग) भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश के वन आवरण का आकलन प्रत्येक दो वर्षों में एक बार किया जाता है और इसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र (32,87,469 वर्ग किलोमीटर) का 21.71% है। आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2021 के आकलन के बीच वन आवरण में 1,540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत घने वन में 501 वर्ग किलोमीटर और खुले वन में 2,621 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की वृद्धि हुई है। मध्यम रूप से घने वनों के तहत 1,582 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2021 के बीच वनावरण की प्रतिशतता में आए अंतर विभिन्न प्राकृतिक और मानवजनित कारकों के कारण है।

(घ) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र वन विभाग द्वारा चौकी, ब्लॉक, रेंज और प्रभाग स्तर पर अग्रिम पंक्ति दल के माध्यम से नियमित गश्त, निगरानी और क्षेत्रों के भ्रमण द्वारा वनों का संरक्षण किया जाता है जिसमें अवैध पेड़ों को काटे जाने से सुरक्षा देना भी शामिल है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों सहित स्थानीय संस्थाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को वनों की सुरक्षा, पुनरुद्भव और वनीकरण में सहायता करती हैं।

(ङ) और (च) हरित भारत मिशन (जीआईएम), काम्पा, मनरेगा, राज्य योजना जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत वन आवरण में वृद्धि हेतु वन क्षेत्र और वनेतर क्षेत्र में वनीकरण किया जाता है। अभी तक जीआईएम के मामले में, वर्ष 2015 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 690.39 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं (अनुबंध-I)। काम्पा मामले में, वर्ष 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 51,768.76 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं (अनुबंध-II)। काम्पा के तहत, तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2019 से 113.42 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

हरित भारत मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गई कुल धनराशि

(**करोड़ रुपये में**)

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटित/जारी की गई धनराशि**
1	आंध्र प्रदेश	6.19
2	अरुणाचल प्रदेश	13.43
3	छत्तीसगढ़	72.75
4	हरियाणा	9.55
5	हिमाचल प्रदेश	17.09
6	जम्मू और कश्मीर	25.73
7	कर्नाटक	13.41
8	केरल	25.47
9	मध्य प्रदेश	91.03
10	महाराष्ट्र	10.30
11	मणिपुर	53.75
12	मिजोरम	139.08
13	ओडिशा	75.78
14	पंजाब	21.57
15	सिक्किम	22.98
16	उत्तराखंड	82.09
17	पश्चिम बंगाल	10.19
18	तमिलनाडु*	शून्य
	कुल	**690.39**

* तमिलनाडु राज्य ने हरित भारत मिशन के तहत भावी योजना प्रस्तुत नहीं की है।

******

अनुबंध-II

काम्पा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गई कुल धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीए	सीएटी	आईडब्ल्यूएमपी	एनपीवी	ब्याज	अन्य	कुल
1	अण्डमान और निकोबार	3.57	0.00	0.00	10.22	2.56	0.06	16.41
2	आंध्र प्रदेश	554.09	92.99	3.00	961.00	63.60	174.18	1,848.86
3	अरुणाचल प्रदेश	523.17	169.86	24.05	1,261.92	66.58	156.08	2,201.66
4	असम	100.91	25.47	0.00	503.10	14.08	65.59	709.15
5	बिहार	156.54	0.00	0.00	322.25	51.12	36.67	566.58
6	चंडीगढ़	7.89	0.00	0.00	2.92	0.56	0.00	11.37
7	छत्तीसगढ	1,143.44	24.49	305.51	3,551.29	822.47	152.00	5,999.20
8	दादरा और नगर हवेली	3.60	0.00	0.00	13.19	6.07	0.00	22.86
9	दिल्ली (2020-21)	108.08	0.00	0.00	19.03	11.07	0.00	138.18
10	गोवा	22.18	0.00	0.00	136.13	77.36	2.49	238.16
11	गुजरात	505.10	0.00	12.79	877.91	54.64	34.16	1,484.60
12	हरियाणा	603.66	27.47	0.00	487.48	46.45	117.59	1,282.65
13	हिमाचल प्रदेश	224.36	486.45	266.77	631.40	18.92	32.82	1,660.72
14	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	48.17	716.38	0.00	0.00	764.55
15	झारखंड	453.25	0.00	178.15	2,828.01	220.13	478.48	4,158.02
16	कर्नाटक	150.46	35.59	0.00	944.60	81.23	138.49	1,350.37
17	केरल	8.90	0.55	0.00	55.01	16.33	0.80	81.59
18	लद्दाख	0.00	0.00	15.70	233.57	0.00	0.00	249.27
19	मध्य प्रदेश	1,980.37	123.55	60.30	3,178.20	448.41	396.68	6,187.52
20	महाराष्ट्र	1,141.35	169.76	37.28	2,120.16	441.67	219.24	4,129.46
21	मणिपुर	67.97	41.35	0.10	219.71	7.63	9.43	346.19
22	मेघालय	6.01	0.98	0.00	104.55	46.82	4.95	163.31
23	मिजोरम	26.38	8.92	0.00	175.87	0.25	1.56	212.98
24	ओडिशा	516.45	69.09	962.46	4,341.91	159.77	231.57	6,281.25
25	पंजाब	493.34	1.69	0.00	510.39	39.64	25.28	1,070.33
26	राजस्थान	273.50	63.75	133.55	1,122.59	51.34	103.53	1,748.26
27	सिक्किम	91.98	85.55	18.62	146.08	47.38	12.96	402.56
28	तमिलनाडु	31.88	0.86	0.52	60.03	6.66	13.47	113.42
29	तेलंगाना	1,266.46	58.48	75.85	1,611.76	126.06	39.53	3,178.14
30	त्रिपुरा	60.66	0.00	0.00	113.50	8.04	49.44	231.64
31	उत्तर प्रदेश	729.50	5.27	0.00	875.59	77.88	131.40	1,819.64
32	उत्तराखंड	358.73	69.59	62.52	1,517.00	140.71	645.53	2,794.09
33	पश्चिम बंगाल	72.78	18.89	0.69	159.39	27.01	27.00	305.76
	कुल	**11,686.56**	**1,580.61**	**2,206.03**	**29,812.14**	**3,182.45**	**3,300.97**	**51,768.76**